न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 71/2020

वादी –

1. देवकिशन जांगीड पुत्र सोहनराम
   जाति–खाती निवासी–खाबड़ियाना ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामावतार पुत्र सोहनराम
2. निजानन्द पुत्र सोहनराम
3. सोहनराम पुत्र बालूराम
   जातियान–खाती, निवासीगण –खाबड़ियाना तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मुनीराम मालोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय – **दिनांक :** 03/12/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के बडेर के खेत मौजा खाबड़ियाना तहसील जायल में खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से घ) अनुसार कर संलग्न नजरी नक्शें अनुसार काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
03/12/2020
सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.) जायल

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 10.08.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री मुनीराम मालोदिया ने की जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 10.08. 2020 को ही उपस्थित न्यायालय में इकबाली जवाब जरिये अधिवक्ता मुनीराम मालोदिया के पेश किया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण के संबंध में इकबालिया जवाब पेश होने ,राजीनामा होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामावतार पुत्र सोहनराम, निजानन्द पुत्र सोहनराम, सोहनराम पुत्र बालूराम जातियान खाती निवासीगण खाबड़ियाना के पेश हुये। साथ ही नकल जमाबन्दी ग्राम खाबड़ियाना तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 391 प्रदर्श–1 एवम् नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–2030 खाता संख्या 65 प्रदर्श–2 पेश किये। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये इकबालिया जवाब वादपत्र को स्वीकार किया गया है एवम् राजीनामा भी तस्दीक किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा इकबालिया जवाब व राजीनामा तस्दीक किये अनुसार पक्षकारान के मध्य ग्राम खाबड़ियाना तहसील–जायल के खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि का आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक इकबालिय जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इकबालिया जवाब दिनांक 10.08.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, की प्रति शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा होने एवं प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा व इकबालिया जवाब दिनांक 10.08.2020 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के बंटवाड़ा व नजरी नक्शे के अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा खाबड़ियाना के खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 का माफिक वाद पत्र बंटवारा पैरा संख्या 2 (क से घ) संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेताय में खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि का हिस्सा विशेष बंटवारा के रूप में चाहा गया है। अतः वाद पत्र में वर्णित भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। बंटवाड़े हेतु प्राथमिक डिक्री इस आशय की तहसीलदार जायल को जारी कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान् की उपस्थिति में विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि ग्राम खाबड़ियाना तहसील–जायल के विभाजन बाबत् पक्षकारान् के आने जाने हेतु वे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांक : रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी ....28/01/2021.... से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....03/12/2020.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

03/12/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

प्राथमिकडिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 71 / 2020

वादी–

1. देवकिशन जांगीड पुत्र सोहनराम
   जाति–खाती निवासी–खाबड़ियाना ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामावतार पुत्र सोहनराम
2. निजानन्द पुत्र सोहनराम
3. सोहनराम पुत्र बालूराम
   जातियान–खाती, निवासीगण –खाबड़ियाना तहसील–जायल (नागौर)
4. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादी
2. श्री मुनीराम मालोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 3
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री मुनीराम मालोदिया प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –
तहसीलदार जायल पक्षकारान की उपस्थिति में विवादग्रस्त खसरा नं. 398 रकबा 8.1746 हैक्ट0 भूमि ग्राम खाबड़ियाना तहसील जायल के विभाजन बाबत् राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त पत्रांकः रा.म. / न्याय / स्था. / प–51 / 2008 / विविध / 10546 / 05.10.2020 की पालना सुनिश्चित करते हुये दो प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी ...28/01/2021... से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 71/2020
देवकिशन बनाम रामावतार वगैरह

ीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।

बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/12/2020 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

03/12/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल